[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 20/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 **जून, 2021**

सा.का.नि.....(अ).- सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 53(अ),दिनांक 23 जनवरी, 2018, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में चौथे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा:-

" परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कर अवधि जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही से, जैसा भी मामला हो, के लिए देय कुल विलंब फीस की राशि, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक आपूर्ति के ब्योरे का विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं**,** का अधित्यजन किया जाएगा, अर्थात्: -

तालिका

क्रमांक (1)	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)**	**राशि (3)**
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी कर अवधि में कोई जावक आपूर्ति नहीं है	दो सौ पचास रुपये
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	एक हजार रुपये
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	दो हजार पांच सौ रुपये

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 04/2018– केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018 को सा.का.नि. 53(अ),दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 53/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।